

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक-एफ.2(1397)सूप्रौ/संस्था/13/पार्ट-11/ML-779

जयपुर, दिनांक: 5 दिसम्बर, 2014

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 (समय-समय पर संशोधित) के नियम-28 के अन्तर्गत सूचना सहायक की सीधी भर्ती के लिए जारी विभागीय विज्ञापन क्रमांक एफ. 2(1512)डीओआईटी/संस्था/13/1/6214/2013 दिनांक 25.04.2013 के क्रम में विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 17096/2013 एवं 12 अन्य जुडी हुई रिट पीटीशन में पारित निर्णय के अनुसरण में आयोजित पुनः टंकण परीक्षा में से “सूचना सहायक” के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप निम्नांकित अभ्यर्थी को प्रोविजनल रूप से अस्थाई आधार पर सूचना सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 8950/-प्रतिमाह (Fixed Remuneration to Probationer Trainees), पर अधोलिखित शर्तों पर आयुक्तालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय), जयपुर में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सशर्त नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	मेरिट	रोल न.	नाम एवं पिता का नाम	जन्म दिनांक	आवंटित श्रेणी
1.	428A	145227	श्री विजय शंकर चौधरी पुत्र श्री शिव राम चौधरी	08.10.1990	GEN-M
2.	463A	145568	श्री हेमन्त कुमार शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा	12.12.1985	GEN-M
3.	483A	145229	श्री महावीर प्रसाद यादव पुत्र श्री भोमा राम यादव	01.07.1989	GEN-M
4.	707A	145286	श्री दीपक गुप्ता पुत्र श्री लल्लू लाल गुप्ता	03.07.1991	GEN-M
5.	1059A	145599	श्री श्रवण कुमार खींचर पुत्र श्री मोहन लाल खींचर	05.10.1989	GEN-M
6.	1111 A	145622	श्री विकास कुमार गुप्ता पुत्र श्री काली चरण गुप्ता	16.10.1991	GEN-M
7.	1581 A	145616	श्री महिपाल सिंह भदाला पुत्र श्री बनवारी लाल भदाला	15.04.1989	GEN-M
8.	1734 A	145612	श्री पिन्दू कुमार सैनी पुत्र श्री बिहारी लाल सैनी	10.05.1986	GEN-M
9.	1763 A	145269	श्री वसीम अली पुत्र श्री इकराम अली	13.01.1988	GEN-M
10.	1859 A	144449	श्री अमित सिंह पुत्र श्री शेर सिंह यादव	20.09.1991	OBC-M
11.	1943 A	144747	श्री मकसूद पुत्र श्री हबीब खान	07.05.1989	OBC-M
12.	2117 A	145604	श्री राकेश सैन पुत्र श्री ओमप्रकाश सैन	17.08.1990	OBC-M
13.	2260 A	144515	श्री शिशुपाल हरिजन पुत्र श्री छिमनाराम हरिजन	03.05.1990	SC-M
14.	2745 A	144845	श्री दलीप ओल्खा पुत्र श्री रूप सिंह ओल्खा	05.06.1987	OBC-M
15.	3106 A	144735	श्री सत्यनारायण सबल पुत्र श्री भोला राम	17.11.1991	SC-M
16.	3663 A	145654	श्री मिथलेश कुमार पुत्र श्री राम भरोसी लाल	11.05.1981	SC-M
17.	3737 A	145598	श्री अशोक कुमार महरनियां पुत्र श्री भैरु राम महरनियां	01.01.1982	SC-M
18.	4189 A	145248	श्री विकास परिहार पुत्र श्री राम कुमार परिहार	21.09.1989	ST-M
19.	4248 A	145620	श्री रविन्द्र कुमार गुणावत पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद गुणावत	01.07.1977	ST-M

- यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 15027/2013, 15880/2013, 18728/2013 एवं अन्य सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2013 से संबंधित अन्य लम्बित रिट याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि उपरोक्त अंकित पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
- मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उक्त सूचना सहायकों / परीवीक्षाधीन का अग्रिम पदस्थापन स्वीकृत / रिक्त पदों के विरुद्ध किया जायेगा।
- अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का किराया-भाड़ा या भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- परीवीक्षाधीन अभ्यर्थी केवल ऊपर अंकित नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे तथा अन्य भत्ते जैसा विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही “सूचना सहायक” की वेतन श्रृंखला (पी.बी.-1) 5200-20200 (ग्रेड पे नं. 10) ग्रेड पे-2800 में न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जावे, जो इस विभाग के विभागाध्यक्ष यथा “शासन सचिव एवं आयुक्त, आई.टी. बिल्डिंग, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)-302005” को सम्बोधित हो।

7. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन (पुलिस वैरिफिकेशन) / स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर की जा रही है।

8. कार्यभार ग्रहण के समय उपलब्ध करवाये जाने वाले दस्तावेज :-

- जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 9. सेवा के दौरान राजकीय यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण की स्थिति में केवल माईलेज एवं अनुषांगिक प्रभार ही नियत/फिक्सड पारिश्रमिक पर ही देय होगा तथा स्थानान्तरण की स्थिति में सिर्फ वास्तविक यात्रा काल ही सेवा अवधि के लिये मान्य है।
- 10. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिन का अकास्मिक अवकाश देय होगा और कलेण्डर वर्ष से कम अवधि में पूर्ण वर्ष के सेवा माह की अवधि के अनुपात से अकास्मिक अवकाश देय होंगे।
- 11. यदि सरकार की राय में उपरोक्त सूचना सहायकों का कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि प्रकरण विशेष में सूचना सहायक होने की क्षमता नहीं है तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से तुरन्त विमुक्त कर दिया जायेगा।
- 12. परीवीक्षा काल में कोई वार्षिक वृद्धि देय नहीं होगी।
- 13. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13 (1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 23.04.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, के अधीन सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
- 14. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर अन्दर कार्यभार सम्भालना होगा अन्यथा उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे।
- 15. वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 16 (5)एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक 13-3-2006 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
- 16. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 4-10-2001 के अनुसार 1-6-2002 के बाद तीन से अधिक बच्चे होने पर जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

आज्ञा से,



(ए.एम. देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सहायक, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 2 तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 3 कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 4 प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर। यह आदेश इस विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।
- 5 संबंधित सूचना-सहायक गण () को पंजीकृत डाक द्वारा पालनार्थ।
- 6 संबंधित निजी पत्रावली।
- 7 लेखा शाखा (मय अतिरिक्त प्रति के)।
- 8 रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन